फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 11.03.2026

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को एक ई-रिक्शा एवं 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 98/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को चोरी की गई ई-रिक्शा व 01अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

1. पिन्टू उर्फ सिन्टू राजपूत पुत्र रामनिवास निवासी बीबीगंज नौसारा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
2. अमन पुत्र सर्वेश श्रीवास्तव निवासी बहादुरगंज तराई थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 10.03.2026 को थाना मऊदरवाजा पर वादी श्री मोहित कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद गुप्ता निवासी मो0 दीवान मुबारक थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 09.03.2026 की रात्रि को वादी का ई-रिक्शा जो बाहर गली में खड़ा था अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 98/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त पिन्टू उर्फ सिन्टू राजपूत पुत्र रामनिवास निवासी बीबीगंज नौसारा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ व अमन पुत्र सर्वेश श्रीवास्तव निवासी बहादुरगंज तराई थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अमन उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर बरामद किया गया तथा अभियुक्तो की निशादेही पर ई-रिक्शा बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उपरोक्त दोनो अभियुक्तों ने अपने जुर्म से इकबाल करते हुए अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त अमन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 98/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त पिन्टू उर्फ सिन्टू राजपूत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 98/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक ई-रिक्शा रंग नीला
2. अवैध एक तमंचा
3. एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अजब सिंह
2. उ0नि0 श्री नितिन कुमार
3. का0 सौरभ
4. का0 विनीत
5. का0 सुभाष पाण्डेय

मीडिया सेल फतेहगढ़।